न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/121 दायरा दिनांक : 21.07.2023

उनवान

1– लालचन्द पुत्र रामा, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
2– नानीबाई पत्नी लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
3– राधेश्याम पुत्र लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
4– घनश्याम पुत्र लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1– जानीबाई बेवा प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
2– आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कोटा, जिला कोटा राजस्थान
3– शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान .... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/141 दायरा दिनांक : 15.09.2023

उनवान

1– लालचन्द पुत्र रामा, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
2– नानीबाई पत्नी लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
3– राधेश्याम पुत्र लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
4– घनश्याम पुत्र लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1– जानीबाई बेवा प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
2– आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कोटा, जिला कोटा राजस्थान
3– शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान ..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 29.07.2024

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 34/दावा/2015 निर्णय व प्राथमिक डिक्री

29/7/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 11.12.2017 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 28.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मोतीपुरा, पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा, तहसील अकलेरा के माल में खाता नम्बर नया 25 पुराना 24 की खसरा नम्बर 102 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 116 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 116/132 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 140/105 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल जुम्ला 5 किता की 9 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.12.2017 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 28.08.2019 से वाद वादिनी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में अपीलांट की साक्ष्य भी नहीं ली गई और दिनांक 11.12.2017 को ही निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है, तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रामचन्द्र प्रतिवादी नं. 5 था किन्तु रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है तथा रामचन्द्र के खिलाफ केवल स्थायी निषेधाज्ञा का ही दावा है जिस्त कारण रामचन्द्र को अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन स्कीम पर अपीलांट की ओर से आपत्ति पेश की जिसको सुने बिना दिनांक 02.07.2019 को बहस सुनी बताकर दिनांक 28.08.2019 को फाईनल डिक्री पारित कर दी। अपीलांट नं. 1 के भाई हरिसिंह ने अपील में दर्ज आराजियात में अपना 1/5 हिस्सा रेस्पोडेंट नं. 1 जानीबाई को बेचान कर दिया जिस कारण जानीबाई ने अपना 1/5 हिस्सा अलग करवाने के लिए यह दावा पेश किया। खसरानं. 116/132 रकबा 3 बिस्वा में अपीलांट ने कुआ खुदवाया है जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट नं. 1 जानीबाई को भी है तथा रेस्पोडेंट नं. 1 जानीबाई ने अपने दावे में भी कुआ अपीलांट द्वारा खोदना बताया है। कुआ अपीलांट का है। उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री में रेस्पोडेंट नं. 1 जानीबाई को खसरा नं. 116/132 रकबा 3 बिस्वा में कुए में भी हिस्सा दिया गया है। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.12.2017 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 28.08.2019 अपास्त की जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

(ममता कुमारी तिवारी) 2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । अतः हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमो में कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण की साक्ष्य नहीं ली गयी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 21.11.2016 से 27.09.2017 तक अवसर दिये गये। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी। अतः साक्ष्य प्रतिवादी में अवसर नहीं देने का कथन निराधार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.07.2018 से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा विभाजन पत्र पर आपत्ति पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रतिवादीगण की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया। दिनांक 22.02.2019 की आदेशिका में पुनः प्रतिवादीगण की आपत्ति बाबत लिखा गया जिसमें फर्जी हस्ताक्षर बाबत लिखा है जबकि यह तथ्य साबित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री जारी की गई जो हमारी राय में उभयपक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर पारित की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं फाईनल डिक्री में उभयपक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है जो हमारी राय में पूर्णतः विधि सम्मत है। प्रस्तुत प्रकरण में मूल विवाद खसरा नं. 116/132 रकबा 3 बिस्वा गैर मु. गड्ढा का है उक्त खसरे बाबत अपीलांट द्वारा मौखिक कथन के अलावा कोई साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है, ना ही अपील में।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाना एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2023/141 एवं 2023/121 अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.12.2017 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 28.08.2019 यथावत जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2023/121

1– लालचन्द पुत्र रामा, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
2– नानीबाई पत्नी लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
3– राधेश्याम पुत्र लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
4– घनश्याम पुत्र लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

..... **अपीलांट**

1– जानीबाई बेवा प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
2– आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कोटा, जिला कोटा राजस्थान
3– शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

बनाम

अपील संख्या 2023/141

1– लालचन्द पुत्र रामा, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
2– नानीबाई पत्नी लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
3– राधेश्याम पुत्र लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा
4– घनश्याम पुत्र लालचन्द, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

..... **अपीलांट**

1– जानीबाई बेवा प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी मोतीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
2– आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कोटा, जिला कोटा राजस्थान
3– शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2023/121 व 2023/141**
मु.द.नं **34/दावा/2015**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**
निर्णय दिनांक प्राथमिक डिक्री **11.12.2017** एवं
फाईनल डिक्री दिनांक **28.08.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 05 माह 07 सन् 2024

हाजरी **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 2023/141 एवं 2023/121 अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.12.2017 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 28.08.2019 यथावत जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **29** माह **07** सन् **2024** को जारी किया गया ।

29/7/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)